

FAY

पत्रांक-1 / प्रा0आ0-0-3-09 / 2017.....119...../ आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,
अपर सचिव।

सेवा में,

आयुक्त के सचिव,

तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

जिला पदाधिकारी,

सिवान / बक्सर / सहरसा / पश्चिम चम्पारण / पूर्वी चम्पारण / सुपौल।

पटना-15, दिनांक- 21/12/17

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघुशीर्ष-001- निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0001- आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना विपत्र कोड-39-2245800010001 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत ₹78,10,000/- (अठहत्तर लाख दस हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघुशीर्ष-001- निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0001- आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न विस्तृत / विषय शीर्षों के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- वर्तमान आवंटित एवं पूर्व आवंटित राशि का प्रमंडलवार / जिलावार / मदवार विवरणी क्रमशः अनुलग्नक I एवं अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।
- यह राशि तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 5142 दिनांक 28.11.17 एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक 810 दिनांक 16.09.17 / बक्सर के पत्रांक 03-2346 दिनांक 06.11.17 / सहरसा के पत्रांक 1551 दिनांक 30.11.17 / पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 148 दिनांक 28.11.17 / पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 225 दिनांक 18.10.17 / सुपौल के पत्रांक 900-2 दिनांक 10.10.17 द्वारा की गई अधियाचना तथा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में आवंटित की जा रही है।
- जिलों द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक- 17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। अनुरोध है कि कार्यालयी व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएँ आदि विस्तृत शीर्षों में मितव्ययिता बरती जाय तथा यात्रा भत्ता भुगतान के पूर्व स्वयं संतुष्ट हो लिया जाय कि बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। स्वयं संतुष्टि के उपरान्त ही यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। किसी तरह की अनियमितता की स्थिति में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
- इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.3.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अपर सचिव

ज्ञापांक- 119 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 21/12/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 119 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 119 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक - 119 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 119 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/ प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

अनुलग्नक - 1

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0001- आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न विस्तृत / विषय शीर्षों के अंतर्गत आवंटित राशि

मांग संख्या- 39

(राशि रुपये में)

क्र0	जिला	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन														कुल योग		
		विषय शीर्ष-01 वेतन	विषय शीर्ष-03 जीवनयापन भत्ता	विषय शीर्ष-04 मकान किराया भत्ता	विषय शीर्ष-06 चिकित्सा भत्ता	विषय शीर्ष-07 अन्य भत्ता	योग वेतन	11-यात्रा व्यय	विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	विषय शीर्ष-02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	विषय शीर्ष-03 दूरभाष	विषय शीर्ष-04 विद्युत प्रभार	विषय शीर्ष-06 वर्दी / पोशाक	विषय शीर्ष-02 सविदा सेवाएँ	15		16	
1	तिरहुत	32000	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	1303000
2	प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	0	1069000	148000	6000	0	1223000	0	40000	25000	0	0	0	0	0	15000	0	2077000
3	सिवान	0	1666000	91000	7000	1000	1765000	0	150000	100000	40000	0	0	7000	0	15000	0	1613000
4	बक्सर	0	1100000	75000	7000	88000	1270000	0	100000	50000	93000	90000	10000	0	0	0	0	337000
5	सहरसा	297000	33000	0	5000	2000	337000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2150000
6	पश्चिम चम्पारण	0	1548000	0	2000	0	1550000	50000	150000	150000	95000	140000	0	0	0	15000	10000	297000
7	पूर्वी चम्पारण	150000	90000	10000	4000	0	254000	0	15000	15000	3000	0	0	0	0	0	0	7810000
8	सुपौल	479000	5506000	324000	31000	91000	6431000	50000	455000	340000	231000	230000	18000	55000				
9	योग																	

(अठहत्तर लाख दस हजार)

अपर सचिव

पत्रांक -

119

दिनांक -

21/12/17

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

अनुलग्नक - II

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहित, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0001-आपदा प्रबंधन (राशि रुपये में)

भाग संख्या-39

क्र०	जिला	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन										विस्तृत शीर्ष-13-कार्यालयी व्यय						कुल योग
		विषय शीर्ष-01 वेतन	विषय शीर्ष-03 जीवनयापन भता	विषय शीर्ष-04 मकान किराया भता	विषय शीर्ष-06 चिकित्सा भता	विषय शीर्ष-07 अन्य भता	योग वेतन	11-यात्रा व्यय	विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	विषय शीर्ष-02 वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	विषय शीर्ष-03 दूरभाष	विषय शीर्ष-04 विद्युत प्रसार	विषय शीर्ष-06 वर्दी / पोशाक	विस्तृत शीर्ष-28-व्यावसायिक सेवारें				
1	तिरहुत	200000	210000	20000	2000	5000	437000	0	10000	10000	5000	10000	1000	25000	498000			
2	मुजफ्फरपुर	200000	210000	20000	1000	5000	436000	0	10000	10000	6500	10000	1000	38530	512030			
3	सिवान	200000	210000	20000	3000	5000	438000	0	10000	10000	6500	10000	2500	38530	515530			
4	बक्सर	200000	210000	20000	4000	5000	754000	0	10000	10000	6500	10000	2000	38530	859030			
5	सहस्रा	350000	370000	25000	5000	5000	783000	0	10000	10000	6500	10000	1000	38530	727030			
6	परिवम	350000	400000	23000	5000	5000	650000	0	10000	10000	6500	10000	2000	38530	412030			
7	रामारण	300000	320000	20000	5000	5000	336000	0	10000	10000	6500	10000	1000	38530	412030			
8	पूर्वी चम्पारण	300000	320000	20000	1000	5000	336000	0	10000	10000	6500	10000	1000	38530	412030			
9	सुपौल	150000	160000	20000	1000	5000	336000	0	10000	10000	6500	10000	1000	38530	412030			
10	योग	1750000	1880000	148000	21000	35000	3834000	0	70000	70000	44000	70000	10500	256180	4354680			

(तितालीस लाख चौवन हजार छः सौ अस्सी)


अपर सचिव

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक -

119 दिनांक - 21/11/17